न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 197 /2015–16 अन्तर्गत धारा–333 जमीं0वि0एवं भू0व्य0अधि0

बनवारी लाल पुत्र स्व0 कल्लू निवासी तेलपुर, मौजा आरकेडियाग्रान्ट परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून द्वारा मुख्तार हरभगत सिंह पुत्र स्व0 दौलत सिंह, निवासी पँडितवाडी, देहरादून

बनाम

1. अपर कलेक्टर/नियत प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), देहरादून

2. देहरादून टी0 कम्पनी लि0(डी0टी0सी0) द्वारा सचिव/निदेशक डी0के0 सिंह, मन्दिर वाली गली, आशिर्वाद एन्कलेव, देहरादून

3. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून।

4. ग्राम सभा मौजा आरकेडियाग्रान्ट, देहरादून द्वारा प्रधान।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री विजय कुमार गुप्ता।

अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या–02 : श्री प्रेमचन्द शर्मा एवं श्री आर0एस0 नेगी।

अधिवक्ता उत्तरदाता राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शास0अधि0(राज0)

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने अपर कलेक्टर/नियत प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), देहरादून के द्वारा मूल वाद संख्या–103/2008–09, विविध वाद संख्या–01/2012–13, श्रीमती प्रभु देवी(मृतक) बनाम टी0 कम्पनी देहरादून अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 07–08–2015 जिसके द्वारा वाद अदम पैरवी में निरस्त किया गया एवं वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 17–08–2015 का निस्तारण किये बिना सीलिंग वाद संख्या–02/2008–09 राज्य बनाम देहरादून टी0 कम्पनी में पारित निर्णयादेश दिनांक 19–10–2015 के साथ वाद पत्रावली निक्षेपित की गई के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

संक्षेप में निगरानी की पृष्ठ भूमि इस प्रकार हैः–

मूल वादिनी श्रीमती प्रभु देवी द्वारा टी0 कम्पनी लि0 देहरादून के विरूद्व एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी भूमि खसरा संख्या–785/3 क्षेत्रफल 0.384 है0 ग्राम आरकेडियाग्रान्ट, तहसील व जिला देहरादून के सम्बन्ध में दिनांक 10–04–1996 को प्रस्तुत किया। एक मामला अधिकतम सीमा आरोपण अधिनियम/सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत राज्य

सरकार की ओर से उक्त वाद में प्रतिवादी टी0 कम्पनी के विरूद्व अपर कलेक्टर, देहरादून के समक्ष पूर्व से चल रहा था। उत्तरदाता टी0 कम्पनी मूल वाद में पारित आदेश दिनांक 25–10–1999 जो कि सीलिंग वाद के लम्बित रहते आलोच्य वाद के कार्यवाही के स्थगित न किये जाने विषयक है के विरूद्व निगरानी में अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी के समक्ष गई एवं विद्वान अपर आयुक्त ने उसकी निगरानी अस्वीकृत कर दी। इसके विरूद्व टी0कम्पनी रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष पहुँची जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 10–11–2005 को यह आदेश पारित किया कि दोनों मामले एकीकृत/इकजाई कर दोनों का निस्तारण एक साथ किया जाय। तद्नुसार दोनों मामले अपर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुए। घोषणात्मक वाद दिनांक 07–08–2015 को अदम पैरवी एवं वाद की पैरवी में रूचि न लिये जाने के आधार पर निरस्त किया गया जबकि सीलिंग प्रकरण विद्वान अपर जिलाधिकारी ने अपने निर्णयादेश दिनांक 19–10–2015 से समाप्त किया। घोषणात्मक वाद में पारित आदेश दिनांक 07–08–2015 के सापेक्ष वादीगण द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 17–08–2015 को प्रस्तुत किया जिस पर विद्वान अपर जिलाधिकारी ने निम्न पार्श्वांकित आदेश पारित कियाः–

Reader/ Pl. put up with file. sd/ADM(E) Dt. 18-08-2015

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि सीलिंग वाद समाप्त कर दिया परन्तु घोषणात्मक वाद में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना इससे सम्बन्धित वाद पत्रावली भी निक्षेपित कर दी गई। इससे व्यथित होकर वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों का अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मूल वाद प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद प्रतिप्रेषित करने का अनुरोध किया जबकि विरोधी अधिवक्ता ने वाद प्रतिप्रेषण सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, मसूरी जो कि विद्वान अपर कलेक्टर से पूर्व वाद का परीक्षण कर रहे थे को किये जाने का अनुरोध किया।

निगरानी से सम्बन्धित तथ्य निर्विवादित हैं। सीलिंग मामला एवं घोषणात्मक वाद मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एकीकृत होने के उपरान्त सीलिंग मामला विद्वान अपर कलेक्टर/नियत प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), देहरादून के निर्णयादेश दिनांक 19–10–2015 द्वारा समाप्त कर दिया गया परन्तु घोषणात्मक मूल वाद जो कि अदम पैरवी एवं अनुसरण में अरूचि के कारण निरस्त कर दिया गया था जिसके सापेक्ष पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र समय से प्रस्तुत कर दिया गया था की भी पत्रावली निक्षेपित कर दी गई अर्थात पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 17–08–2015 आतिथि तक अनिस्तारित है एवं वाद में अग्रेत्तर परीक्षण समाप्त कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से विदित होता है कि मा0 उच्च न्यायालय के एकीकरण आदेश के उपरान्त भी एकीकृत दोनों वादों की कार्यवाहियाँ पृथक–पृथक चल रही थीं। घोषणात्मक वाद अदम पैरवी में निरस्त होने पर प्रस्तुत वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का कोई निस्तारण नहीं किया गया जबकि सीलिंग वाद समाप्त हो गया। स्पष्ट है कि विद्वान अपर जिलाधिकारी ने वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का विधिसम्मत निस्तारण न कर स्वंय में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है। तद्नुसार निगरानी स्वीकारणीय है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर एवं मूल वाद की पत्रावली का निक्षेपण आदेश अपास्त कर मूल वाद की पत्रावली विद्वान अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), देहरादून को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि मूल वाद में प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 17–08–2015 का विधिसम्मत निस्तारण करें। वाद पुनर्स्थापन की स्थिति में वे स्वतन्त्र होंगे कि मूल वाद की पत्रावली क्षेत्राधिकार युक्त सहायक कलेक्टर को वाद के विधिसम्मत निस्तारण हेतु प्रेषित करदें। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **03–08–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)